

बिहार सरकार,
वित्त : विभाग।

पटना, दिनांक- 26-12-03

प्रेषक,

बी० भाम्नी,
अपर वित्त आयुक्त संसाधन॥

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष

विषय:- सरकारी सेवक द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा की अवधि के क्रम में आगे पीछे अथवा बीच की अवधि में छुट्टी पर रहने की स्थिति में कुल प्रभार रहित अवधि को एक साथ विनियमन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रभार रहित अवधि के विनियमन हेतु प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा के क्रम में ऐसा देखा जाता है कि पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहने वाले कुछ सरकारी सेवक पदस्थापन की प्रतीक्षा की अवधि के क्रम में आगे या पीछे अथवा बीच की अवधि में छुट्टी पर रहते हैं। इस तरह के मामले में कतिपय विभागों द्वारा छुट्टी पर रहने की अवधि की छुट्टी स्वीकृत कर दी जाती है तथा छुट्टी स्वीकृत करने के बाद शेष पदस्थापन की प्रतीक्षा की अवधि 180 दिन या उससे कम रहने पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से तथा 180 दिन से अधिक अवधि रहने पर वित्त विभाग की सहमति से विनियमन किया जाता है। इस प्रकार पदस्थापन की प्रतीक्षा की अवधि के क्रम में आगे पीछे अथवा बीच की अवधि में छुट्टी पर रहने की अवधि सहित कुल प्रभार रहित अवधि को एक साथ विनियमन न कर छुट्टी पर रहने की अवधि की छुट्टी स्वीकृत कर आंशिक रूप से विनियमन किये जाने पर महालेखाकार बिहार द्वारा भी आपत्ति की जाती है। महालेखाकार, बिहार द्वारा आपत्ति किये जाने पर विभागों द्वारा आंशिक रूप से स्वीकृत छुट्टी की अवधि तथा पदस्थापन की प्रतीक्षा की अवधि अर्थात् कुल प्रभार रहित अवधि को पुनः एक साथ विनियमन करने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करने हेतु भेजा जाता है।

अतः वर्णित स्थिति में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी सेवक द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा की अवधि के क्रम में आगे या पीछे अथवा बीच की अवधि में छुट्टी पर रहने की स्थिति में कुल प्रभार रहित अवधि छुट्टी पर रहने की अवधि सहित 180 दिन या उससे कम रहने पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से तथा 180 दिन से अधिक रहने पर वित्त विभाग की सहमति से एक साथ विनियमन किया जाय।

आपका आज्ञाकारी
अपर वित्त आयुक्त संसाधन